न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 148/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

पालाराम पुत्र श्री मनोहर लाल जाति बिश्नोई निवासी उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. जवाहर लाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर राज.

आदेश दिनांक : 10–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 02–01–1989 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं01 जवाहर लाल के पास गॉव उड़सर में 30–00 बीघा नहरी चक 4 एम के का मु0 नं0 15 के 11–00 बीघा एवं चक 3 पी0बी0एम0 में 19–00 बीघा पुख्ता भूमि आवंटित है। अप्रार्थी सं0 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उसके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 ने गॉव सिलवानी में 15–00 बीघा भूमि और खरीद कर ली है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने द्वारा धारित भूमि को छिपा कर चक नं0 1 एम0के0 का मु0 नं0 55 (नया) 38 के 14/18 में भूमि एवं मु0 नं0 57(नया) 40 में 5–00 बीघा नहरी तहसीलदार, रायसिंहनगर से आरजी काश्त पर आवंटन करवा ली है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय दिनांक 15–6–87 एवं एस0डी0ओ0 रायसिंहनगर ने भी अपने निर्णय में भूमि प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है।इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं0 1 ने अदालत मातहत को धोखा देकर सही तथ्यों को छुपा कर गलत आवंटन करवाया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अप्रार्थी को नाम से किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

भूमि के संबंध में रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड तलब किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अप्रार्थी सं01 जवाहर लाल के पास भूमि चक 4 एम के का मु0 नं0 15 में 11–00

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बीघा भूमि एवं चक 3 पी0बी0एम0 में 19–00 बीघा भूमि कुल 30–00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित है। अप्रार्थी के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 ने गॉव सिलवानी में 15–00 बीघा भूमि और खरीद कर ली है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने द्वारा धारित भूमि को छिपा कर चक नं0 1 एम0के0 में मु0 नं0 55 (नया) 38 के मु0 नं0 14/18 में भूमि एवं मु0 नं0 57 (नया) 40 में 5–00 बीघा नहरी तहसीलदार, रायसिंहनगर से आरजी काश्त पर आवंटन करवा ली है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय दिनांक 15–6–87 एवं एस0डी0ओ0 रायसिंहनगर ने भी अपने निर्णय में अप्रार्थी सं0 1 को भूमि प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं0 1 ने अदालत मातहत को धोखा देकर सही तथ्यों को छुपा कर गलत आवंटन करवाया है। अतः अप्रार्थी के नाम से किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

शिकायतकर्ता का शिकायत के माध्यम से आरोप है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर चक नं0 1 एम0के0 के मु0 नं0 55 (नया) 38 के मु0 नं0 14/18 में भूमि एवं मु0 नं0 57 (नया) 40 में 5–00 बीघा नहरी तहसीलदार, रायसिंहनगर से आरजी काश्त पर आवंटन करवा ली है। अतः इस जमीन को खारिज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार, रायसिंहनगर के पत्र कमांक भू0अ0/87/6867 दिनांक 31–12–1987 के अनुसार चक 1 एम0के0ए का पुराना मुरब्बा नं0 55 का नया मु0 नं0 38 का 14718 बीघा तथा पुराना नम्बर 57 का नया मुरब्बा नं0 40 का 5–00 बीघा कुल 19–18 बीघा बारानी रकबा सम्वत् 2044 के लिए अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन किया जाता है। इस आदेश के माध्यम से पटवारी हल्का आदेश दिया गया कि अप्रार्थी सं0 1 को कब्जा देकर नियमानुसार भू राजस्व वसूल करें तथा रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1534 दिनांक 12–4–04 से अवगत कराया है कि चक 4 एम0 के0 का मु0 नं0 15 का कि0 नं0 21 ता 23 की .759 है0, कि0 नं0 24 की .126 है0 कुल 0.885 है0 नहरी भूमि कालूराम पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई सा0 उड़सर, मु0 नं0 15 का कि0 नं0 16,17 की .506 है0, कि0 नं0 24की .127 है0 एवं कि0 नं0 25 की .253 है0 कुल 0.886 है0 नहरी भूमि सुरेशकुमार पुत्र ओमप्रकाशस जाति बिश्नोई सा0 उड़सर, मु0 नं0 15 का कि0 नं0 11 की .253, कि0 नं0 18 ता 20 की .759 है0 कुल 1.012 है0 नहरी भूमि पालाराम पुत्र मनोहर लाल जाति बिश्नोई सा0 उड़सर द्वारा जवाहर लाल पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई सा0 उड़सर से जरिये बैयनामा खरीद की गई है। मौका पर खरीददारान का कब्जा है। उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता पालाराम द्वारा चक 4 ए0के0 के मुरब्बा नं0 15 की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 जवाहर लाल से जरिये बैयनामा खरीद की गई है। तहसीलदार, रायसिंहनगर से चक 1 एम0 के0 की भूमि के बारे में रिपोर्ट चाही गई थी जबकि उनके द्वारा चक 4 एम0 के0 की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। शिकायत का मुख्य बिन्दु चक 1 एम0 के0 की भूमि का है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा वेद प्रकाश पुत्र मनोहर लाल एवं जवाहर लाल पुत्र मनोहर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लाल अप्रार्थी सं0 1 को टी0सी0 पर आवंटित भूमि के संबंध में दिनांक 17–12–90 को आदेश पारित कर टी0सी0 आवंटन खारिज कर दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय द्वारा अपील सं0 689/95 में दिनांक 02–02–99 को आदेश पारित कर, उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 18–12–95 जिसके द्वारा रेस्पो0 सं0 1 को चक 1 एम0 के0 एम0 की कुल 5.022 है0 भूमि का आवंटन किया गया था, के विरूद्व अपील पेश होने पर, अपील स्वीकार की जाकर, अपीलकृत आदेश दिनांक 18–12–95 निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपीलीय निर्णय दिनांक 02–02–95 द्वारा चक 1 एम के एम की भूमि जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित की गई थी, के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, जब राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर द्वारा चक 1 एम के एम की भूमि का आवंटन दिनांक 02–02–95 को निरस्त कर दिया गया था तो तहसीलदार, रायसिंहनगर को दिनांक 20–02–99 को सम्वत् 2055 के लिए टी0सी0 पर नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिये था। हस्तगत पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के उल्लेखित आदेश के विरूद्व या अन्यथा कोई अपील /आदेश होना नहीं पाया गया है लिहाजा ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता की शिकायत प्रमाणित होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत प्रमाणित होती है तथा शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 689/95 में पारित निर्णय दिनांक 02–02–99 की पालना में चक 1एम के एम के मु0 नं0 55 नया 38 की कि0 नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.757 है0 भूमि एवं मु0 नं0 57 नया 40 कि0 नं0 21 ता 23 एवं 25 के 1.265 है0 भूमि कुल 5.022 है0 कृषि भूमि का आवंटन निरस्त कर दिये जाने के कारण तत्काल कब्जा बहक सरकार लिया जावे एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में आराजी राज दर्ज की जावे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 10–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर